न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई

(पीठासीन अधिकारीः सुरेश कुमार हरसोलिया, आर.ए.एस.)

प्रकरण (दावा) सं0––07/2020
प्रविष्टि दिनांक ––25.2.2020

उनवान

1. आनन्दा पुत्र हरिनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम काचरिया तहसील निवाई जिला टोंक
2. धाना पुत्र हरिनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम काचरिया तहसील निवाई जिला टोंक
3. जगदीश पुत्र हरिनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम काचरिया तहसील निवाई जिला टोंक

–वादीगण/आवेदकगण

बनाम

1. फेलीराम पुत्र जयनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम काचरिया तहसील निवाई जिला टोंक
2. बाबूलाल पुत्र जयनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम काचरिया तहसील निवाई जिला टोंक
3. रामू पुत्र जयनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम काचरिया तहसील निवाई जिला टोंक
4. मैनी बेवा जयनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम काचरिया तहसील निवाई जिला टोंक
5. लाली पुत्री जयनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम काचरिया तहसील निवाई जिला टोंक
6. रामअवतार पुत्र ग्यारसा जाति मीणा निवासी ग्राम काचरिया तहसील निवाई जिला टोंक
7. रामजीलाल पुत्र किशन जाति मीणा निवासी ग्राम काचरिया तहसील निवाई जिला टोंक
8. धन्नी बेवा कुशला जाति मीणा निवासी ग्राम काचरिया तहसील निवाई जिला टोंक
9. मोती पि.मु. कुशला जाति मीणा निवासी ग्राम काचरिया तहसील निवाई जिला टोंक
10. तहसीलदार निवाई

– प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री रामबाबू शर्मा–वकील वादीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए, राज0 लेण्ड रेवन्यू एक्ट

निर्णय

दिनांक– 3/3/25

अधिवक्ता वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 626 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा हिस्सा सम्पूर्ण, खसरा नंबर 631 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा हिस्सा 1/2 ग्राम हरभगतुरा तहसील निवाई जिला टोंक मे स्थित हैं जिसके प्रार्थीगण काबिज काश्तकार है। प्रार्थीगण की भूमि पर जाने हेतु प्रार्थीगण की भूमि के पश्चिम दिशाा मे स्थित अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 632 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा व खसरा नंबर 668 सा. नं. 669 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि वाके ग्राम हरभावंता तहसील निवाई जिला टोंक मे स्थित है। उक्त भूमि ग्राम काचरिया व हरभांवता की सीमा र स्थित है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 631 व 626 ग्राम हरभांवता मे स्थित अप्राथीगण की भूमि खसरा नंबर 632 व 669 ग्राम हरभगतपुरा पूर्व दिशा की ओर स्थित 15 फीट रास्ते से सैकडो वर्षो से आते जाते है। राजस्व शीट मे उक्त रासते हेतु लाल रंग के डोटेड निशानात बने हुए है। प्रार्थीगण की भूमि के लिए उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नही है। परन्तु अप्रार्थीगण ने जबरन उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है और मोके र तारबंदी कर दी है। मात्र 4 फिट का रास्ता रख दिया है। अब वे उक्त रास्ते को पूर्णतः बंद करने पर अमादा है। पूर्व मे उक्त रास्ते को खुलासा करवाया गया लेकिन अप्रार्थीगण ने पुनः बंद कर दिया। अतः प्रार्थीगण की भूमि खसर नंबर 626 व 631 र जाने के लिए रास्ता खसरा नंबर 632 व 668 सा0 नंबर 669 मे से 15 फिट रास्ता दिया जावे।

आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे जमाबंदी, नक्शा ट्रेस आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

Scanned with CamScanner

प्रकरण मे पेरोकार सरकार तहसीलदार निवाई से रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की भूमि मे पहुचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता हैं। प्रस्तावित रास्ते की चौडाई 2 गटठे व लम्बाई 30 गटठे है तथा क्षेत्रफल 0.03 बीघा हैं। प्रस्तावित रास्ते को नजरी नक्शे मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। अप्रार्थीगण उक्त रास्त देने मे सहमत नही है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है।

प्रतिवादीगण की ओर से बावजूद तामील उपस्थित नही हुए। उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

इसके पश्चात अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। अधिवक्तागण ने बहस के दौरान अपने अपने तथ्यों को दोहराया।

हमने वाद पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं बहस पर मनन किया। प्रकरण पर उपलब्ध तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के पास अपने खेतो पर आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नही है, इसलिए प्रार्थी द्वारा न्यायालय के माध्यम से अपनी जोत मे जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता चाहा गया है। उक्त तथ्य सुखाचार का तथ्य है और काश्तकार के सुखाचार हेतु राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम 1955 के तहत धारा 251 क के अनुसार प्रावधान किये गये है। उक्त धारा के तहत नवीन मार्ग की स्वीकृति के संबंध मे आवश्यक तत्व / शर्ते निर्धारित किये गये है:–

(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नही है और

(2) अन्य खतेदार की जोत मे से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले मे पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है।

अतः उक्त प्रावधान अनुसार पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी के अवलोकन से एवं पैरोकार सरकार की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि के सबसे निकटतम रास्ता ख.न. 632 मे से गैमु. रास्ता खसरा नंबर 648 तक है। उक्त अधिनियम के तहत खातेदार द्वारा अपनी कृषि भूमि से सुविधाजनक किसी सार्वजनिक मार्ग के पहुंच के मध्य अन्य खातेदारो की भूमि मे से मार्ग चाहा जा सकता हैं, जिसकी पूर्ति गै. मु. रास्ते के खसरा नंबर 648 से उत्तर की ओर अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 632 की पश्चिमी मेर से प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 631 की सीमा तक मार्ग प्रस्तावित करने से हो जाती हैं। चूंकि उक्त अधिनियम मे कृषको के सुखाचार हेतु प्रावधान किये गये है जिसमे सभी कृषको के सुखाचार को दृष्टिगत रखा जाता है। अतः काश्तकारो के सुखाचार को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थनापत्र–अन्तर्गत धारा 251(2) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट बाबत प्रदान किये जाने रास्ता, मौका रिपोर्ट एवं साक्ष्य दस्तावेजो के आलोक मे आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निवाई को निर्देशित किया जाता है कि खसरा नंबर 631 की दक्षिणी पूर्वी सीमा से होते हुए खसरा नबर 632 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे खसरा नंबर 648 गै.मु. रास्ते तक 15 फीट चौडा रास्ता दिया जाता है। प्रस्तावित भूमि के रकबे की वर्तमान डी.एल.सी. दर से नियमानुसार राशि जमा राजकोष करवाकर, रास्ते का अंकन नक्शा शीट मे किया जाकर पालना से अवगत करावे।

निर्णय आज **दिनांक** 3/3/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई

Scanned with CamScanner